

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :-श्रीमती उदीबाई

विपक्षी :-श्री किशनलाल

किस्म मुकदमा :- 88, 188 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 32/22

जीसीएमएस नम्बर :-2022/56

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 02.06.2026</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि स्वयं वादीया द्वारा दिनांक 13.04.2026 को उपस्थित होकर पत्रावली तलबी मय विद्दो का प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल फाईल हैं। आज दिनांक को अधिवक्ता वादीया की प्रार्थना पत्र वाद विद्दो पर बहस सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता वादीयां को प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का पढ़कर सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया।</p> <p>चूंकि स्वयं वादीया अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहती हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्दो कर खारिज करवाना चाहती हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्दो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	